


बाल यौन शोषण को रिपोर्ट कैसे करें...



अन्वेषण करें

बाल यौन शोषण के पहले संकेत से ही कार्यवाही करना शुरू करें। अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करें।

रिपोर्ट करें

स्थानीय पुलिस स्टेशन में बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करें, यदि वे ग्रहणशाली नहीं हैं तो ज़िला/शहर पुलिस प्रमुख के पास जाएँ। आप चाइल्ड लाइन 1098 या अन्य गैर सरकारी संगठन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं।

विधार्थी पर सतर्क दृष्टि रखें

यदि आपको संदेह है कि आपका कोई छात्र ऐसी स्थिति में है, तो उसके व्यवहार, ज़रूरतों, और स्कूल कार्यों पर विशेष ध्यान दें।

पुलिस जाँच से जुड़े रहें

जाँच कार्यकर्ता से पहचान में रहें और नई जानकारी से अध्यतन रहें।

बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें

यह अनुभव कठिन हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छाशक्ति को मज़बूत रखें और भविष्य में आने वाले प्रत्येक मामले की सूचना देने से पीछे ना हटें।

पोकसो ऐक्ट के अनुसार बाल शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है और नहीं करने पर आप दंड के पाल होंगे।

आपको बच्चों के यौन शोषण की घटना अन्य कर्मचारियों या बच्चे के परिवार के सामने बच्चे को सूचित किए बिना प्रकट नहीं करना चाहिए।

अधिक जानकारी या हमसे बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.protsahan.co.in पर जाएँ

चाइल्ड लाइन को 1098 पर मदद के लिए दिन या रात किसी भी समय कॉल करें और बच्चों को यौन शोषण से बचाएँ